विधान परिषद् के प्रथम सत्र 2023 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित डा. मान सिंह यादव] मा· सदस्य, विधान परिषद् द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–9 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
9(क) क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बतायेंगे कि तृतीय सत्र, 2022 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–01 के बिन्दु क के उत्तर में बताया गया है कि गन्ना किसानों का रूपये–2,788.65 करोड़ भुगतान हेतु अवशेष है?	तृतीय सत्र, 2022 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित मा. सदस्य, विधान परिषद् द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–01 के बिन्दु 'क' के उत्तर में यह उल्लिखित किया गया था कि तत्समय पेराई सत्र 2021–22 में कुल देय गन्ना मूल्य रू.35,201.34 करोड़ के सापेक्ष रू. 32,412.69 करोड़ का भुगतान कराया जा चुका था, रू.2,788.65 करोड़ भुगतान हेतु अवशेष था।
(ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त भुगतान को करा दिया गया है?	**दिनांक 13.02.2023** की सूचना के अनुसार पेराई सत्र 2021–22 में कुल देय गन्ना मूल्य रू.35,201.34 करोड़ के सापेक्ष रू.34,565.77 करोड़ का भुगतान कराया जा चुका है, रू.635.57 करोड़ भुगतान हेतु शेष है।
(ग) यदि नहीं, तो कब तक उक्त भुगतान करा दिया जायेगा?	पेराई सत्र 2021–22 के अवशेष गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु बकायेदार चीनी मिलों को दिनांक 25-02-2022, 14-09-2022 एवं 20-10-2022 को नोटिसें तथा सक्षम स्तर से समय–समय पर विभिन्न समीक्षा बैठकों के माध्यम से कड़े निर्देश दिये जा चुके हैं। इसी क्रम में चीनी मिल गोला (लखीमपुर–खीरी), गांगनौली (सहारनपुर), मलकपुर (बागपत), कप्तानगंज (कुशीनगर) एवं गड़ौरा (महराजगंज) के विरुद्ध वसूली प्रमाण पत्र निर्गत किये जा चुके हैं।

(लक्ष्मी नारायण चौधरी)
मंत्री,
गन्ना विकास एवं चीनी मिलें, उ.प्र.।